

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 671/2010/नागौर

मैसर्स सम्भव कॉटन कम्पनी प्रा.लि.,  
मेडतासिटी, नागौर।

.....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
नागौर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.माहेश्वरी,  
अभिभाषक।  
श्री जमील जई,  
उपराजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 13/04/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के अपील संख्या 86/09-10/वैट/नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, नागौर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23/24 के तहत कुल आई.टी.सी. राशि रूपये 1,22,127/- को अस्वीकार किया गया, को यथावत् रखा गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2006-07 के दौरान दिनांक 31.03.2006 को स्टॉक में शेष रहे फिनिस्ड कॉडन व बाई प्रोडक्ट कॉटन शीड पर कोई कर नहीं चुकाया। इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.03.2009 पारित करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा चाहा गया आई.टी.सी. राशि रूपये 1,22,127/- अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.03.2010 द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कपास से रूई एवं कॉटन शीड का निर्माण किया जाता है, तो जिस अनुपात

लगातार.....2

में रूई का निर्माण हुआ है, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उस अनुपात में कपास पर चुकाये गये बिक्री कर का आई.टी.सी. स्वीकार किया जाना चाहिए था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आई.टी.सी. स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शुन्य मांग पत्र का कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.03.2009 पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया, और ना ही अधिनियम की धारा 24 के तहत कोई नोटिस जारी किया। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने माननीय कर बोर्ड का निर्णय (2013) 36 TUD 190 RTB सीटीओ बनाम शिव स्टोन क्रेशर को उद्धरित किया। आगे उन्होंने अपने कथन में कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का विरोध करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में कहा कि अपीलार्थी व्यवहारी के पास दिनांक 31.03.2006 को कच्चा माल स्टॉक में नहीं था, एवं अधिनियम की धारा 19 के अनुसार यदि दिनांक 31.03.2006 को स्टॉक में मौजूद माल कर चुका हुआ हो तो ही उस पर चुकाया हुआ पुराने एक्ट के तहत बिक्री कर आई.टी.सी. योग्य है। इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 31.03.2006 को तैयार माल रूई एवं कॉटन शीड दोनों ही कर योग्य वस्तुएँ होने के कारण रूई एवं कॉटन शीड में प्रयुक्त कपास पर आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं होगा। आगे उन्होंने अपने कथन में कहा कि अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कपास से कॉटन शीड एवं रूई का निर्माण किया जाता है। दिनांक 31.03.2006 को अपीलार्थी के पास दिनांक 31.03.2006 तक कच्चा माल स्टॉक में नहीं था। इस प्रकार अधिनियम की धारा 19 के अनुसार यदि दिनांक 31.03.2006 को स्टॉक में मौजूद माल कर चुका हुआ हो तो ही उस पर चुकाया हुआ पुराने एक्ट के तहत बिक्री कर आई.टी.सी. योग्य है। परन्तु दिनांक 31.03.2006 को तैयार माल रूई एवं कॉटन शीड दोनों ही कर योग्य वस्तुएँ थीं। माननीय राजस्थान कर बोर्ड ने चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमीकल्स लि., कोटा 25 टैक्स अपडेट के प्रकरण में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि वैट एक्ट की धारा 19 के तहत दिनांक 31.03.2006 को स्टॉक में उपलब्ध उसी माल पर आई.टी.सी. देय होगा जिस पर पुराने एक्ट के तहत कर चुका दिया हो। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का अधिनियम की धारा 19 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम अस्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है।


7. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान माननीय कर बोर्ड का निर्णय (2013) 36 TUD 190 RTB सीटीओ बनाम शिव स्टोन क्रेशर को उद्धरित करते हुए

लगातार.....3

कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी को कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व अधिनियम की धारा 24 के तहत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। परन्तु कर निर्धारण पत्रावली के पृष्ठ संख्या 114 के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 24 के तहत दिनांक 17.02.2009 के लिए नोटिस जारी किया गया था। इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता का सुनवाई पर समुचित अवसर दिया जाने संबंधी बिन्दु स्वीकार योग्य नहीं है।

8. परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.2010 में किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(मदनलाल मालवीय)  
सदस्य